

अनुलग्नक IV
पीआईएस के अंतर्गत पात्र एफपीआई के लिए केवाईसी दस्तावेज़

		एफपीआई प्रकार		
दस्तावेज़ का प्रकार		श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III
निकाय स्तर	संवैधानिक दस्तावेज़ (संस्था के ज्ञापन (मेमोरेण्डम) और लेख, निगमन का प्रमाण पत्र आदि)	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	पते का प्रमाण	अनिवार्य (पते का उल्लेख करने वाली पावर ऑफ अटॉर्नी {पीओए} पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है)	अनिवार्य (पते का उल्लेख करने वाली पावर ऑफ अटॉर्नी {पीओए} पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है)	अनिवार्य - पावर ऑफ अटॉर्नी के अलावा
	पैन (PAN) ¹⁶⁵	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	वित्तीय डेटा	छूट प्राप्त *	छूट प्राप्त *	अनिवार्य
	सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	बोर्ड का संकल्प @@	छूट प्राप्त *	अनिवार्य	अनिवार्य
वरिष्ठ प्रबंधन (पूर्णकालिक निदेशक/ भागीदार/न्यासी/आदि)	सूची	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	पहचान का प्रमाण	छूट प्राप्त *	छूट प्राप्त *	संस्था लेटर हेड पर पूरा नाम, राष्ट्रीयता, जन्मतिथि घोषित करती है या फोटो पहचान प्रमाण जमा करती है *
	पते का प्रमाण	छूट प्राप्त *	छूट प्राप्त *	लेटर हेड पर घोषणा *
	फोटो	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त *
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	सूची एवं हस्ताक्षर	अनिवार्य - पीओए के मामले में वैश्विक अभिरक्षक	अनिवार्य - पीओए के मामले में वैश्विक अभिरक्षक	अनिवार्य

¹⁶⁵ Amended vide amendment dated April 20, 2018. Deleted Portion of read as: 'Card'.

		हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची वैश्विक अभिरक्षक (ग्लोबल कस्टोडियन)को दी जा सकती है	हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची वैश्विक अभिरक्षक (ग्लोबल कस्टोडियन)को दी जा सकती है	
	पहचान का प्रमाण	छूट प्राप्त *	छूट प्राप्त *	अनिवार्य
	पते का प्रमाण	छूट प्राप्त *	छूट प्राप्त *	लेटर हेड पर घोषणा *
	फोटो	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त *
परम लाभकारी स्वामी (परम लाभकारी स्वामी (यूबीओ)) (यूबीओ)	सूची	छूट प्राप्त *	अनिवार्य	अनिवार्य
	पहचान का प्रमाण	छूट प्राप्त *	छूट प्राप्त *	अनिवार्य
	पते का प्रमाण	छूट प्राप्त *	छूट प्राप्त *	लेटर हेड पर घोषणा *
	फोटो	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त *

* बैंक खाता खोलते समय इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, संबंधित एफपीआई एक वचनपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं कि नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मांगे जाने पर संबंधित दस्तावेज बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे।

@ कुछ न्यायक्षेत्रों के एफपीआई जहां बैंक खाते आदि खोलने के उद्देश्य से बोर्ड संकल्प पारित करने की प्रथा प्रचलन में नहीं है, वे 'बोर्ड संकल्प के बदले वैश्विक संरक्षक/स्थानीय संरक्षक को दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी' प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्रेणी	पात्र विदेशी निवेशक
I.	सरकार और सरकार से संबंधित विदेशी निवेशक जैसे विदेशी केंद्रीय बैंक, सरकारी एजेंसियां, सॉवरेन वेल्थ फंड, अंतर्राष्ट्रीय/बहुपक्षीय संगठन/एजेंसियां।
II.	ए) उचित रूप से विनियमित व्यापक आधारित फंड जैसे कि म्यूचुअल फंड, निवेश ट्रस्ट, बीमा/पुनर्बीमा कंपनियां, अन्य व्यापक आधारित फंड आदि। बी) उचित रूप से विनियमित संस्थाएं जैसे बैंक, आस्ति प्रबंधन कंपनियां, निवेश प्रबंधक/परामर्शदाता, पोर्टफोलियो प्रबंधक आदि। सी) व्यापक आधार वाले फंड जिनका निवेश प्रबंधक उचित रूप से विनियमित है। डी) विश्वविद्यालय निधि और पेंशन निधि। ई) विश्वविद्यालय से संबंधित एन्डोमेंट्स (Endowments) पहले से ही सेबी के साथ एफआईआई/उप खाते के रूप में पंजीकृत हैं।

III.	पीआईएस मार्ग (PIS Route) के अंतर्गत भारत में निवेश करने वाले अन्य सभी पात्र विदेशी निवेशक श्रेणी I और II के अंतर्गत पात्र नहीं हैं जैसे बंदोबस्ती, धर्मार्थ सोसायटी / ट्रस्ट, फाउंडेशन, कॉर्पोरेट निकाय, ट्रस्ट, व्यक्ति, पारिवारिक कार्यालय, आदि।
------	--